

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर क ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 50,000/- पचास हजार रूपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रिता को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गो०न०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रौशन कुमार, 19, प्रगोद राग, अनुराधित जाति	जुली देवी (माता)	1071 12.06.2026 एवं 2211 29.11.2025	ग्राम+पो०-तिनटंगा करारी, थाना। प्र० गोपालपुर जिला भागलपुर 9709704157	103101 100200 43	UCO BANK UCBA00 01031	रु० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु (सड़क दुर्घटना के कारण) कृषि श्रमिक
2	स्व० अशोक पारावान, 52, विश्वनाथ पारावान, अनुराधित जाति	सुनीता देवी (पत्नी)	1071 12.06.2026 एवं 2212 29.11.2025	ग्राम पुरानीसराय, पो० नाथनगर, थाना गधुसूदनपुर, प्र० नाथनगर, जिला भागलपुर 7067006569	360801 313852 18	DBGB PUNB0 MBGB0 6	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजगिरि का हेल्पर

कुल :-रु 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रूपये मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

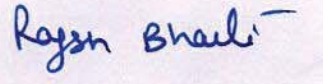
ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-32/2025-1101

पटना, दिनांक :- ११/०८/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम

अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/गाननीय गंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


रुपेश कुमार
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक